न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.) तारानगर

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 पण्डरेउ ताल

अनुवान काशीराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –561/2025

निर्णय दिनांक 4/12/25

1. काशीराम पुत्र स्व. हरसुख राम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. तारामणी पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. धीर सिंह पुत्र स्व. लिछमण राम निवासी हरिपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 पण्डरेउ ताल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खसरा नं. 456/201 तादादी 6.9421 हैक्ट., ,ख.नं 457/201 तादादी 2.5290 हैक्ट. रोही ग्राम हरीपुरा तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त खसराजात कृषिभूमि जिसका खसरा नं. वास्तविक भूमि व विभागीय मैप के अनुसार अलग है। खसरा नं. 456/201 तादादी 6.9421 हैक्ट. भूमि जो कि वर्तमान जमाबंदी में काशीराम पुत्र स्व. हरसुख राम एवं खसरा नं. 457/201 तादादी 2.5090 हैक्ट. भूमि जो कि तारामणी पत्नी महावीरप्रसा एवं धीरसिंह पुत्र स्व. लिछमण राम के नाम दर्ज है। जबकि कब्जा काश्त एवं विभागीय मैप के अनुसार खसरा नं. 457/201 तादादी 6.9421 हैक्ट. काशीराम पुत्र स्व. हरसुख राम एवं खसरा नं. 456/201 तादादी 2.5290 हैक्ट. भूमि तारामणी पत्नी महावीर प्रसाद एवं धीरसिंह पुत्र स्व. लिछमण राम के नाम दर्ज है। उपरोक्तानुसार विभागीय एवं मानवीय भूल के कारण भूमि अपनी अपनी जगह सही है परन्तु खसरा नं. उल्ट–पुल्ट हो गये है। यानि खसरा नं. 457/201 की जगह खसरा नं. 456/201 लिखा गया। श्रीमानजी प्रार्थियों की पैतृक कृषिभूमि का भाई बंटवारा आज से लगभग 50–55 वर्ष पहले हुआ था व उसी समय से प्रार्थीगण अपने–अपने स्थान पर काबिज, संतुष्ट व पूर्णतया सहमत है। अतः प्रार्थियों का नम्र निवेदन है कि इस भूल को सुधार कर सही खसरा नं. किये जाये ताकि आगे के लिये कोई परेशानी वास्तविक खातेदारों को ना हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के रोही ग्राम हरिपुरा ख.नं. 456/201 तादादी 6.9421 हैक्ट. भूमि काशीराम पुत्र हरसुखराम जाट निवासी हरिपुरा हिस्सा पूर्ण तथा खसरा नं. 457/201 तादादी 2.5290 हैक्ट. भूमि तारामणी पत्नी महावीरप्रसाद हिस्सा 1/2 व धीरसिंह पुत्र लिछमण राम जाट हिस्सा 1/2 निवासी हरिपुरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मौका स्थिति का अवलोकन करने पर पाया कि ख.नं. 456/201 तादादी 2.5090 हैक्ट. भूमि पर तारामणी पत्नी महावीरप्रसाद व धीरसिंह पुत्र लिछमण राम जाट निवासी हरिपुरा काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा खसरा नं. 457/201 तादादी 6.9421 हैक्ट. भूमि पर काशीराम

Rajendra

पुत्र हरसुखराम जाट निवासी हरिपुरा काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अतः श्रीमानजी खातेदारों की आपसी सहमति व मौका तथा कब्जा काश्त अनुसार उपरोक्त खातेदारों की भूमि का क्षेत्रफल वही रखते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 456/201 तादादी 2.5290 हैक्ट. भूमि तारामणी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद हिस्सा 1/2, धीरसिंह पुत्र लिछमण राम हिस्सा 1/2 जाति जाट एवं खसरा नं. 457/201 तादादी 6.9421 हैक्ट. भूमि काशीराम पुत्र हरसुखराम जाति जाट हिस्सा पूर्ण निवासी हरिपुरा सिर्फ खसरा नं. की राजस्व रिकार्ड में शुद्धि की जानी उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसराजात भूमि में तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नं. 456/201 तादादी 2.5290 हैक्ट., ख.नं. 457/201 तादादी 6.9421 हैक्ट. रोही ग्राम हरिपुरा तारानगर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पटवारी रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में अंकितानुसार मुताविक कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 पण्डरेउ ताल में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)